भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 406

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

गिग श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

406. सुश्री एस. जोतिमणि

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गिग श्रमिकों द्वारा अर्जित मजदूरी के संबंध में कोई आंकड़ा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कोई नीति या योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विभिन्न श्रमसंहिताओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार देश भर में गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है क्योंकि विभिन्न राज्य उनकी रक्षा के लिए अपने स्वयं के कानून बना रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): ई-श्रम पोर्टल दिनांक 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गिग कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण हेतु शुरू किया गया था।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगार और प्लेटफॉर्म कामगार के लिए केंद्र सरकार द्वारा समुचित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। श्रम अध्ययन केन्द्र, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसयूआई), बंगलौर को गिग और प्लेटफार्म कामगारों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक नई योजना तैयार करने में सहायता करने हेतु नियुक्त किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और एनएलएसयूआई के साथ दिनांक 23.01.2023 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संहिता के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों से संबंधित उपबंध अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

*****